न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 188/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/452)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मलकीत कौर पत्नी सेवा सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी 17 ओ ए तहसील श्री करणपुर।		1. गुरमन्दर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 6 जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सेवा सिंह पुत्र चनन सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी 17 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर।		2. गुरसाहब सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 6 जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरमीत सिंह पुत्र सेवा सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी 17 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर जरिए मुखत्यारेआम सेवा सिंह।		3. राजेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 6 जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. मुखत्यार सिंह पुत्र गुरमेज सिंह जाति जटसिख निवासी 17 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर।		4. लखा सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. लखविन्द्र कौर पत्नी मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 17 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर।		5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।
6. गुरजीत सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 17 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर जरिए मुखत्यारेआम सेवा सिंह।		
7. बलदीप सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 17 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर।		

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 09.06.2023

उपस्थितः1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण

--निर्णय--

दिनांकः12.03.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 16 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 34/74 के मुरब्बा नम्बर 10, 11, 14, 15, 62/33 की कुल 13.483 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व अभिलेख में वादीगण अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त दर्ज है और उसका आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण का उक्त रकबा संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादी ने आज से 5 रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 15 ओ की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 34/74 के मुरब्बा नम्बर 10, 11, 14, 15, 62/33 की कुल 13.483 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के कब्जाकाश्त अनुसार अन्य सहखातेदारान से विधिवत जोत विभाजन करवाकर खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के सम्मन अदम तामील वापिस प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिए अखबार प्रकाशन से करवाए जाने के आदेश दिए गए। वादीगण अधिवक्ता द्वारा अखबार की प्रति पेश की। सामिल मिसल की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर वन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा वहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 16 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 34/74 के मुरब्बा नम्बर 10, 11, 14, 15, 62/33 की कुल 13.483 हेक्टेयर भूमि में से वादीगण मलकीत कौर, सेवा सिंह, गुरमीत सिंह, मुखत्यार सिंह, लखविन्द्र कौर, गुरजीत सिंह, बलदीप सिंह के नाम 13.306 हेक्टेयर भूमि दर्ज है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 16 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 34/74 के मुरब्बा नम्बर 10, 11, 14, 15, 62/33 की कुल 13.483 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण मलकीत कौर, सेवा सिंह, गुरमीत सिंह, मुखत्यार सिंह, लखविन्द्र कौर, गुरजीत सिंह, बलदीप सिंह के नाम 13.306 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	मलकीत कौर पत्नी सेवा सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी 17 ओ ए तहसील श्री करणपुर। (0.886 हैक्टेयर)	16 ओ	11	12/2	0.038 हैक्टेयर	नहरी	0.34
				20	0.017 हैक्टेयर	नहरी	0.15
				21	0.152 हैक्टैयर	नहरी	1.35
	सेवा सिंह पुत्र चनन सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी 17 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर। (4.470 हैक्टेयर)		62/23		0.025 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			14	1	0.152 हैक्टेयर	नहरी	1.35
				10	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				11	0.089 हैक्टेयर	नहरी	0.79
	गुरमीत सिंह पुत्र सेवा सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी 17 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर (1.619 हैक्टेयर)			20/1	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.22
				20/2	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
				21/1	0.038 हैक्टेयर	नहरी	0.34
				21/2	0.051 हैक्टेयर	नहरी	0.45
			15	1/2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				2 ता 9	2.024 हैक्टेयर	नहरी	18.00
				10/2	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				11/2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				12 ता 19	2.024 हैक्टेयर	नहरी	18.00
				20/2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				21/2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				22 ता 25	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
2	मुखत्यार सिंह पुत्र गुरमेज सिंह जाति जटसिख निवासी 17 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर। (3.669 हैक्टेयर)	16 ओ	10	1 ता 4	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
				5	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				6	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
करणपुर

लखविन्द्र कौर पत्नी मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 17 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर। (0.632 हैक्टेयर) गुरजीत सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 17 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर (1.015 हैक्टेयर) बलदीप सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 17 ओ ए तहसील श्रीकरणपुर। (1.015 हैक्टेयर)			7 ता 14	2.024 हैक्टेयर	नहरी	18.00
			15	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
			16	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
			17 ता 20	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
			21/2	0.225 हैक्टेयर	नहरी	2.00
			22	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
			23	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
			24	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
			25	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.80
		62/23		0.253 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
		11	20	0.008 हैक्टेयर	नहरी	0.07

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★
सत्यमेव जयते

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर